

18-7-19.

बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अभी० और न अधिवक्ता अभी० उपस्थित आये। अतः पत्रावली अयम, यजरी अयम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रा० के सल्ल सुमार होकर नम्बर से कम की जाने बाद जाता द्वाखील दफ्तर है।

①

मुन्सिफ अफिस  
रवेर  
मुन्सिफ अफीस राधिकापी  
नयापुर बंग-वीरपुर